न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–09/2019 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मुरारी पुत्र गिर्राज जाति हैबासी ब्राहमण निवासी ग्राम बदनगढी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0

..... अपीलांट प्रतिवादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र किशोरी लाल,
2. केशवदेव पुत्र किशोरी लाल,
3. कमलेश पुत्री किशोरी लाल,
4. माया देवी पुत्री किशोरी लाल,
   वारिसान मृतक किशोरी लाल जाति हैबासी ब्राहमण निवासीयान ग्राम बदनगढी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0

..... असल रेस्पोडेन्ट वादीगण

5. गोविन्द पुत्र रामकिशोर,
6. बृजभूषण पुत्र रामकिशोर,
7. भूदेव पुत्र रामकिशोर,
8. महेश पुत्र रामकिशोर,
9. शीला पुत्री रामकिशोर,
10. बीबो पुत्री रामकिशोर,
    वारिसान मृतक रामकिशोर
11. मथुरा पुत्र मंगल,
12. हरीप्रसाद पुत्र मंगल,
13. रतीराम पुत्र भगवान,
14. लछमन पुत्र भगवान,
15. कुन्दन पुत्र भगवान,
16. भगवती पुत्री भगवान
    कमांक 13 लगायत 16 वारिसान मृतक भगवान जाति हैबासी ब्राहमण निवासीयान ग्राम बदनगढी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
17. त्रिलोक पुत्र रामचरण,
18. राजाराम पुत्र सांवलिया,
19. रामदयाल माता किस्तूरी,

20. शिवराम माता किस्तूरी,
21. ठाकुरलाल माता किस्तूरी,
22. रमेश माता किस्तूरी,
23. बलराम माता किस्तूरी,
24. प्रेम माता किस्तूरी,
25. मीरा माता किस्तूरी,
    क्रमांक 19 लगायत 25 वारिसान मृतका किस्तूरी जाति हैबासी ब्राहमण निवासीयान ग्राम बदनगढी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
26. जसोदा पुत्री सांवलिया,
27. देवी माता ढकेली,
28. अशोक माता ढकेली,
29. ओमामाता ढकेली,
30. गणेशी पुत्र प्रभू,
31. रामगोपाल पुत्र प्रभू,
    जाति हैबासी ब्राहमण निवासीयान ग्राम बदनगढी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0
32. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार कठूमर जिला अलवर राज0

.....तरतीबी रेस्पोडेण्ट प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री दशरथ सिंह नरूका अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–26.02.2021

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय दिनांक 24.01.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 19, 21, 22, 27, 39, 40, 91, 95, 98, 99, 109, 129, 131, 132, 189, 190, 210, 211, 220, 226, 227, किता 27 रकबा 10.97 है0, 44, 42, 43, 20 रकबा 0.05 है0, 37 रकबा 0.05 है0 ग्राम बदनगढी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 में स्थित है। जिसकी बाबत असल रेस्पो0 के पिता किशोरी लाल ने अपीलांट तथा तरतीबी रेस्पो0 के खिलाफ एक दावा तकसीम वो हुक्मईम्तनाई दवामी का तहत अदालत में पेश किया। जो दावा निर्णय दिनांक 24.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया है, जिस निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। विवादित आराजी का विवरण दिया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि तहत अदालत में बाद तामील अपीलांट मुरारी लाल ने अपना जबाव दावा पेश किया। एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 जा.दी के साथ अपने जबाव में संशोधन की इजाजत के लिये प्रस्तुत किया था। जिस प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद असल रेस्पो0 वादीगण कानूनन चलने योग्य नही था, लेकिन तहत अदालत ने गलत तौर पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और असल रेस्पो0 के वाद में अति संक्षिप्त कार्यवाही कर असल रेस्पो0 वादीगण के वाद को नियम व प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही किये बिना डिक्री कर दिया। अपीलांट प्रतिवादी का यह कथन था कि विवादित आराजी का पूर्व में घरेलू बंटवारा हो चुका है तथा पक्षकारान घरेलू बंटवारा में अपने अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज है। ऐसी अवस्था में प्रकरण में इस बिंदु पर प्रश्न निहित था कि विवादित आराजी अविभाजित है अथवा उसका घरेलू बंटवारा हो चुका है। जिसका निस्तारण हरदो पक्षों की साक्ष्य व सबूत लेकर मैरिट पर ही किया जा सकता था। असल रेस्पो0 वादी ने विवादित आराजी अविभाजित होने का गलत अंकन करते हुये दावा किया है जबकि विवादित आराजी का पूर्व से ही घरेलू बंटवारा हो चुका है तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्से में आई आराजी पर काबिज रहकर अलग अलग काश्त कर रहे हैं। इसलिये वादी असल रेस्पो0 के दावे का निस्तारण दोनों पक्षों की साक्ष्य सबूत लेकर मैरिट पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। आलोच्य निर्णय पारित करने से पूर्व तहत अदालत ने ना तो तनकीयात कायम की और ना ही साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर दिया। जो कि कानूनन आवश्यक था। तहत अदालत में अपीलांट की बहन प्रेम पुत्री गिर्राज व बहनें माया, रूकमणी पुत्रीयान गिर्राज भी प्रतिवादी संख्या 5/2 लगायत 5/4 के रूप में पक्षकार थी। लेकिन उन्होंने जर्ये हक त्याग दिनांक 26.05.2015 अपने हिस्से का त्याग अपीलांट के हक में कर दिया है। इसलिये उन्हें पक्षकार अपील नही बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 24.01.2019 अपास्त किया जावे।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन है कि विवादित आराजी अपीलांट व रेस्पो0 की शामलात खातेदारी की आराजी थी। जिसका कोई कानूनी तकासमा नही हुआ। अबट आराजी है। किसी भी प्रकार का कोई घरेलू बंटवारा इत्यादि नही हुआ है, ना ही इस बाबत अपीलांट द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये हैं। रेस्पो0 वादीगण विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने का अधिकारी है। वादीगण रेस्पो0 का दावा पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जा चुका था। विवादित आराजी पत्रावली के साथ संलग्न रिकार्ड में शामलात में खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी मौके पर घरू तौर पर बंटी हो इसके लिये कोई साक्ष्य सबूत पत्रावली पर अपीलांट द्वारा पेश नही किये हैं। विवादित आराजी अबट व शामलात खातेदारी की साबित है। तहत अदालत द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुये अपना निर्णय पारित किया है। तहत अदालत द्वारा पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत और सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2019 का अवलोकन किया।

तहत अदालत को प्रस्तुत वाद का निपटारा करते हुये न्यायालय हाजा के प्रकरण अपील संख्या 74/2015 बउनवान मुरारीलाल बनाम किशोरीलाल निर्णय दिनांक 17.11.2017 में प्रकरण को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि मृतक खातेदारों के वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाकर नयी प्रारम्भिक डिक्री पारित करें तथा तहसीलदार को आदेशित करें कि वे जारी प्रारम्भिक डिक्री अनुसार सहखातेदारों के मध्य उनके हिस्से अनुसार तथा मौके पर कब्जेकाश्त, रास्ता आदि के प्रावधानों को देखते हुये तथा उभयपक्षकारों को मौके पर उपस्थिति करते हुये टिनेन्सी एक्ट के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना कराते हुये सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) से अलग–अलग हिस्से अनुसार कुर्रे रिपोर्ट प्राप्त करके अंतिम डिक्री तीन माह में जारी करे।

तहत अदालत के आलोच्य आदेश में उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना की जाकर मृतक खातेदारों के वारिसान मुकदमा पक्षकार बनाये गये हैं तथा राजस्व रिकार्ड के अनुसार "मीट्स एण्ड बाउण्ड" के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिये गये हैं।

तहत अदालत द्वारा सही निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते हैं। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिल खारिज के है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कठूमर का निर्णय दिनांक 24.01.2019 यथावत रखा जाता है। तदनुसार पर्चा–डिक्री जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर